न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—197/2018/223 (2018/00197)

1. श्री सीमेंट लि0 अंधेरी देवरी, तहसील ब्यावर, जरिये सहायक महाप्रबंधक (विधि) ।

अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल पुत्र किशनलाल,
2. ब्रह्मालाल पुत्र किशनलाल,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देलवाड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
3. श्रीमती बरजी पत्नि चतुर्भुज,
4. बालूराम पुत्र चतुर्भुज (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— मु0 प्रेमदेवी पत्नि स्व0 बालू,
   4/2— रामदेव पुत्र बालू,
   4/3— रामचन्द्र पुत्र बालू,
   4/4— महेन्द्र पुत्र बालू,
   4/5— सुनील पुत्र बालू,
   4/6— जमना पुत्री बालू,
5. नैनूराम पुत्र चतुर्भुज,
6. रामचन्द्र पुत्र चतुर्भुज,
7. रूपा पुत्र मिठूलाल,
8. पन्ना पुत्र मिठूलाल,
9. धन्ना पुत्र मिठूलाल,
10. लाला पुत्र स्व0 मिठूलाल,
11. श्रीमती कमला पत्नी स्व0 मिठूलाल,
12. शिवनाथ पुत्र घीसालाल,
13. श्रीमती रामेश्वरी पत्नि स्व0 रामरतन,
14. राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामरतन,
15. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 रामरतन,
16. जगदीश पुत्र स्व0 हरकरण,
17. श्रीमती बदामी पत्नि स्व0 हरकरण,
18. शंकर पुत्र स्व0 रणजीत,
19. भंवरी पत्नि स्व0 रणजीत
    समस्त जाति जाट, निवासी देलवाड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
20. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।
21. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 13.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 14/2013.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/6 एवं 5 से 19 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 20 एवं 21.

निर्णय

दिनांकः— 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खाता संख्या नया 20 पुराना 19 के खसरा नंबर 1693/1 रकबा 2—5—00, खसरा नंबर 1694/1 रकबा 2—10—00, खसरा नंबर 1696 रकबा 00—14—00, खसरा नंबर 1697/1 रकबा 2—12—00, खसरा नंबर 1698 रकबा 3—8—10 कुल किता 5 कुल रकबा 10—19—10 तथा खाता नंबर नया 373 पुराना 327 के खसरा नंबर 1693/1893 रकबा 00—08—00, 1694/1895 रकबा 1—9—04, खसरा नंबर 1696 रकबा 00—14—00, खसरा नंबर 1697/1897 रकबा 2—5—00, खसरा नंबर 1698/1 रकबा 2—4—10 कुल किता 5 कुल रकबा 7—00—10 बीघा आराजियात अवस्थित है जा वादीगण व प्रवितादी संख्या 1 लगायत 17 की आराजी कृषि भूमियां है । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 का सजरा वाद के पद नंबर 2 में अंकित है । वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 के पति/पिता/दादा की संयुक्त सहखातेदारी की आराजियात है । उक्त आराजी कृषि भूमियों का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के मध्य आपसी मौखिक बंटवारा हो रखा है, उक्त मौखिक बंटवारे के अनुसार वादीगण के हिस्से में खसरा नंबर 1693/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नंबर 1694/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा आई है । उक्त बंटवारे के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है किन्तु वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से अंकित चली आ रही है एवं वादग्रस्त आराजियात का किसी भी प्रकार से बंटवारा आज दिन तक नहीं हो रखा है । इसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 17 ने वादीगण के हिस्से में आये खसरों पर कब्जा कर वाद में वर्णित संपूर्ण आराजियात को उक्त मौखिक बंटवारे में आई आराजियात को प्रतिवादी संख्या 18 को बेचान कर दिया जिसमें कि वादीगण के हिस्से में आई भूमियों का भी बेचान हो गया, एवं उक्त आराजियात में से शेष बची हुई आराजियात को अन्यत्र दीगर व्यक्तियों को बेचान कर खुदबुर्द करने पर आमदा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के विरूद्ध इस आशय की बंटवारा डिक्री पारित की जावे कि वाद में वर्णित आराजी भूमि जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के नाम संयुक्त रूप से अंकित चली आ रही है एवं वादपत्र की मद संख्या 2 में मौखिक बंटवारे अनुसार वादीगण को खसरों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अलग–अलग लगान एवं अलग–अलग नक्शा तरमीम भी करवाया जावे एवं शेष खसरा नंबरान में प्रतिवादी संख्या 1 से 17 का नाम अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाद में वर्णित आराजी का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक पंजीयन संबंधी कार्यवाही नहीं करे तथा निर्माण आदि नहीं करे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.6.2017 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम देलवाड़ा तहसील ब्यावर के खाता संख्या नया 373 पुराना 327 खसरा नंबर 1693 रकबा 00–8–00, खसरा नंबर 1694/1895 रकबा 1–9–04, खसरा नंबर 1696 रकबा 00–14–00, खसरा नंबर 1697/1897 रकबा 2–5–00, खसरा नंबर 1698/1 रकबा 2–4–10 भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 के बीच वर्तमान जमाबंदी में वर्णित हिस्सा के अनुसार पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश पारित किये तथा जमाबंदी में वर्णित हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 का कब्जा कायत किया जाने तथा नक्शा ट्रेस में अलग–अलग रंग से दर्शित करने के आदेश पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना कोई सूचना दिये पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर केवल वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व राजस्थान सरकार के पैरोकार की बहस सुनकर वाद को आंशिक स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में भूल की है । प्रतिवादी/अपीलांट की और से दिनांक 9.10.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था । प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई और मिसल वास्ते बहस प्रार्थना पत्र/जवाब हेतु दिनांक 7.1.2014 को नियत की गई उसके पश्चात् कब उसी दिन जवाब बंद किया जिसकी जानकारी अपीलांट व उसके अभिभाषक को नहीं दी गई तथा पत्रावली को अपीलांट के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की सुनवाई हेतु नियत कर दिया तथा दिनांक 6.4.2015 को बहस सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा पत्रावली को लोक अदालत में नियत कर दिया तत्पश्चात् पुनः नियत कोर्ट में रखते हुए तनकीयात कायम हेतु नियत कर दी गयी जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई । तद्पोरांत राजस्व लोक अदालत में दिनांक 13.6.2017 को नियत कर बिना जवाब दावा का अवसर दिये रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्रावली तनकियात कायमी हेतु नियत थी लेकिन तनकीयात कायम किये बिना ही अधी0न्याया0 ने वाद को आंशिक रूप से डिक्री कर आदेश 14 नियम 1 व 2 के विधिक प्रावधानों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने वाद में जो विवादित आराजी अंकित की थी उसमें अपने हिस्से में खसरा नंबर 1693/1 एवं खसरा नंबर 1694/1 में से 1 बीघा 5 बिस्वा बाबत् मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज होना बताकर डिक्री चाही तथा शेष अन्य आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के द्वारा बेचान के आधार पर अगर

प्रतिवादी/अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने की वाद मे दादरसी चाही थी । अधी0न्याया0 ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत खसरा नंबर 1693/1 एवसं 1694/1 तथा अन्य खसरा नंबरान बाबत् वादीगण का कोई क्लेम नहीं माना तो फिर अधी0न्याया0 को वाद खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद को आंशिक स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । वादपत्र में वर्णित आराजियात में वादी व अन्य प्रतिवादीगण का कोई हित निहित नहीं था क्योंकि विवादित आराजी अपीलांट के पक्ष में दिनांक 9.9.1986 द्वारा प्रकरण संख्या 60/83 में अवाप्ति अवार्ड आदेश पारित हो चुके थे तथा खरीदशुदा भूमि भी थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया तथा वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता था । अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी का जवाबदावा गलत रूप से बंद कर दिया था जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी इसी का फायदा उठाते हुए वाद आंशिक रूप से डिक्री हुआ है । अगर अपीलांट अपना जवाब प्रस्तुत करता तो वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आती इसलिये वास्तविक स्थिति सुस्पष्ट हुए बिना वाद में तनकियात व साक्ष्य लिये बगैर वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित करने में भूल की है । अधी0न्याया0 ने वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में बिना राजीनामे के वाद निर्णित नहीं किया जा सकता है । प्राथमिक डिक्री में जो आराजी बैंक के नाम मुर्तहीन दर्ज है उसे बैंक के नाम उसका हिस्सा रहन यथावत् रखने के आदेश पारित किये है जबकि वाद में बैंक पक्षकार ही नहीं था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद आंशिक रूप से डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट को जवाब का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर साक्ष्य उपरांत पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 422 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री की अपीलांट को जानकारी नही थी ना ही उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें अवगत कराया गया था । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 7.6.2018 को वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जिसकी जानकारी दिनांक 1.7.2018 को प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दी गई जिस पर दिनांक 2.7.2018 को नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल प्राप्त हुई तथा अजमेर अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने निर्णय व प्राथमिक डिक्री की नकल लाने हेतु निर्देश दिये जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 5.7.2018 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा नकल प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकता अभिभाषक से संपर्क कर बिना विलंब यह अपील पेश की है । अभिभाषक द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2017 की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई इसलिये अभिभाषक की गलती का खामियाजा प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम

न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 18 एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित किये है । दिनांक 17.4.2013 को प्रतिवादी संख्या 18/अपीलांट की ओर से वकील श्री माधव गोपाल गर्ग ने पॉवर पेश किया गया है । पेशी दिनांक 10.7.2019 को प्रतिवादी संख्या 18/अपीलांट के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया कर प्रतिवाद पत्र हेतु समय चाहा । पेशी दिनांक 9.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 14 से 17 ने प्रतिवाद पत्र पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 18/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया । इसी दिनांक को प्रतिवादी संख्या 18 द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादी संख्या 18/अपीलांट का जवाब बंद किया गया है । तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 हेतु विचाराधीन रही । आदेशिका दिनांक 25.3.2015 के अनुसार वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब न देकर बहस करने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उसी दिन बहस सुनकर निर्णय दिनांक 6.4.2015 द्वारा प्रतिवादी संख्या 18/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया है । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं के अंकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र का जवाब बंद किये जाने के उपरांत अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा पुनः जवाब बंद किये जाने के आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में निर्णय व प्राथमिक डिक्री को विधिविरूद्ध होना बताया है किन्तु किस कारण से विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है इस संबंध में अपीलमीमों में कोई उल्लेख नहीं किया है । केवल मात्र अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने तथा तनकियात कायम नहीं करने का उल्लेख किया है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने से उसके हक अधिकार किस प्रकार प्रभावित हुए है इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी अपीलांट की है किन्तु अपीलांट ने इस संबंध में अपने अपीलमीमों कोई उल्लेख नहीं किया है । अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत पेश किया है उसमें प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का जवाब पेश किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा पेश नहीं किया तथा अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 9.10.2013 को जवाब बंद किये जाने के उपरांत उक्त आदेश को निरस्त कराने के संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की खातेदारी की होना तथा मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज होने का कथन कर बंटवारे का वाद पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 अधी0न्याया0 ने आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के निर्णय के विरूद्ध अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2017 से अपीलांट ने अपील मीमों में एवं बरवक्त बहस अपने हक व अधिकार प्रभावित होना साबित नहीं किया है एवं यह भी कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 में अपीलांट के हक व अधिकार किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है एवं उनके हिस्से के विवाद बाबत् भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.6.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर